<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-24052025-263331 SG-DL-E-24052025-263331

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] No. 161] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2025/ ज्येष्ठ 1, 1947 DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2025/ JYAISHTHA 1, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 67 [N. C. T. D. No. 67

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय—I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मई, 2025

सं. 23 / 2024-राज्य कर

फा. सं. 3(05)/ वित्त(व्यय–I)/2025-26/ डीएस–I/446.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर औश्र सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना जो दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या 22/2021 राज्य कर, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV में सं. फा.3(118)/ वित्त (व्यय–I)/2021-22/ डीएस–I/317, दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित हुई थी को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत देय विलंब शुल्क की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर–7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अविध के लिए जिस के दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जोिक पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है।

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के लिए जून, 2021 से नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर—7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन जाता है।

3377 DG/2025 (1)

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के किसी मास के प्रारूप जीएसटीआर—7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्त्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल रकम शून्य है, का अधित्यजन किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2024 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर रविन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2025

No. 23/2024-State Tax

F. No. 3 (05)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/446.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I), No. 22/2021 – State Tax, dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F3(118)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/317, dated the 18th November, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees:

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of State Tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1stday of November, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin.)